

एफ रोड स्थित सुनेरी मस्जिद के सामने सड़क पर पर रमजान माह के पहले शुक्रवार की होगी।

नेजों को जाने

खेल भारतीय (एबीवीपी) ने तय (जीयू) की में शुरू होने जा वर्ष से 18 नए देने का विरोध

अहमदाबाद साई ने आरोप नेयमों को ताक जों को मंजूरी दी थू से संबद्ध में काफी सीटें मजदूर और नीड सको प्रक्रिया को ए बिना ही इन गई हैं। परिषद

आईएसआई मार्क का दुरुपयोग करने वाले केबल निर्माता पर दबिश

258 बंडल, 110 बॉक्स सील

अहमदाबाद भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने आईएसआई मार्क का दुरुपयोग करने वाले केबल निर्माता इकाई पर दबिश 258 बंडल, 110 बॉक्स केबल और पांच मार्किंग पुली जप्त कर सील कर दिया गया।

बीआईएस अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि बगैर लाइसेंस के एक कंपनी पीवीसी इंसुलेटेड केबल का उत्पादन, पैकिंग और आईएसआई चिन्हांकन में लिप्त है। शुक्रवार को इस टीम ने ओढ़व स्थित एक इंडस्ट्रियल एस्टेट की इंडस्ट्रीज पर दबिश दी। जांच के दौरान वहां बड़ी मात्रा में बीआईएस के मानक चिन्ह (आईएसआई) का दुरुपयोग पाया गया। यहां से आईएसआई चिन्ह वाले करीब 258 बंडल, 110 बॉक्स केबल और पांच मार्किंग पुली सील की गई।

बीआईएस के वैज्ञानिक एवं प्रमुख चंदन बहल के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बीआईएस से मानक चिन्ह

न्यायाध्याज ज बो पारडीवाला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा है कि गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (जीएफएसयू) खुद एम. टेक (साइबर सिक्योरिटी)

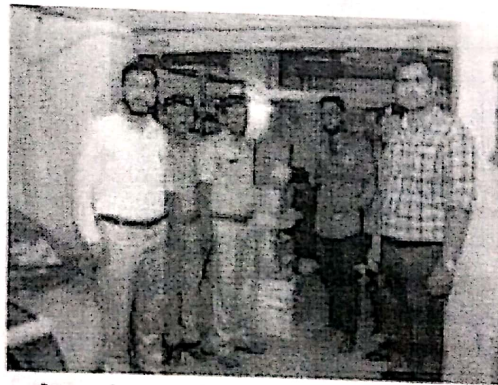
तय कर।

जीएफएसयू के तत्कालीन छात्र संदीप मुज्यासरा की ओर से दायर याचिका में विधि के फीस को चुनौती दी गई थी।

कार की टक्कर से एक की मौत, एक घायल

वलसाड, पारडी निवासी दो युवक अतुल में नौकरी करके लौटते समय पारडी हाइवे पर कार की टक्कर से घायल हो गए। इसमें एक की मौत हो गई और एक की जान बची।

पारडी के डीसीओ स्कूल के पास रहने वाले हरीश पटेल अपने मित्र कमलेश के साथ गत रोज अतुल में नौकरी करके शाम को घर लौट रहे थे और पारडी के पास हाइवे पर अचानक एक कार चालक उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार कर फरार हो गया। कार की टक्कर लगने पर दोनों गिर पड़े, जिसमें हरीश पटेल को सिर में गम्भीर चोट लगने पर मौके पर मौत हो गई और कमलेश को मामूली चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बारे में लोगों ने पारडी थाने में जानकारी दी।



आईएसआई का लाइसेंस लिए बगैर उत्पाद का उत्पादन नहीं सकता। ब्यूरो की पूर्व अनुमति के बगैर मानक चिन्ह का प्रयोग करने वालों के खिलाफ उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। यह अपराध दंडनीय है, जिसके अंतर्गत दो वर्ष का कारावास व कम से कम दो लाख रुपए का दंड का प्रावधान है।